

26/12.2024:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र विद्धा कर लिया गया है। मूल वाद पत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 09.04.2024 को वर्तमान स्तर पर निरस्त किया जाती है। पत्रावली नम्बर से क्रम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



02/12/24

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

अ  
Ravi  
9/12/24  
Cm